न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/13/2021	2021/146	08.10.2021	20.01.2025

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ अलवर जरिये विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़।

——निगरानीकार

बनाम

1. गोपीराम पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम बडोदा मेव पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।
2. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जरिये सचिव/सरपंच।

——गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बडोदा मेव दिनांक 10.01.13 पट्टा संख्या 36।

उपस्थितः—

01. श्री अशोक शर्मा — वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बडोदा मेव दिनांक 10.01.13 पट्टा संख्या 36 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि गैरनिगराकार सं. 1 गोपीराम ने गैरनिगराकार स0 2 के समक्ष कृषि भूमि में रिहायशी मकान हेतू पट्टा दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर गैर निगराकार स० 2 ने प्रस्ताव पास कर गैरनिगराकार सं० 1 को दिनाक 10.01.13 को आदेश पारित कर 299 वर्ग गज भूमि हेतू पट्टा जारी किया गया इस बाबत शुल्क तौर पर गोपीराम से 200 /—रूपये की राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई।

गैरनिगराकार स० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूध जारी किया है तथा पंचायती राज० अधि० व राजस्थान पंचायती राज० नियमो की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय ना तो कृषि भूमि पर किये पर किये गये किसी निर्माण की जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूमि पर जो निर्माण है। यह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से सबंधित कोई तथ्य तथा भूमि के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नही किया गया है और ना ही जहां भूमि स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अकिंत किया गया है तथा भूमि के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नही किया गया है कि अमुक निमार्ण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली मे तो नही किया गया है तथा नियमानुसार कृषि भूमि मे पट्टे जारी करने का ग्रांम पंचायत के अधिकार कुछ सीमा तक ही है जबकि गैरनिगराकार स० 1 उन अधिकारों की सीमा मे नहीं आता है उक्त पट्टा गैरकानूनी रूप से दिया हुआ है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

भूखण्ड हेतू नियमन पट्टा जारी करने हेतू जो उज्जदारी नोटिस निकाला गया है उसमे भी भूमि निमार्ण जिसका पट्टा जारी किया जाना है की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नही किया है ताकि उज्जदार सम्पति/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उजदारी करने या करने की स्थिति पर विचार ना कर सके ना ही उजदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उजदारी नोटिस को सर्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिर्पोट का हवाला ही अपने विवादित आदेश मे लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानो की पूर्ण अनेदखी करते हुयें जारी किया गया है जिस को मान्य करार नही दिया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उसे जांच मे भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई उक्त पट्टा किस खसरा न० मे जारी किया गया यह भी पट्टे मे नही दर्शाया गया है। गैरनिगराकार स० 1 ने गैरनिगराकार स० 2 से मिल्लत कर गलत प्रकार से उक्त पट्टा जारी कराया गया है। निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम की धारा 97(1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नही है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तु है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनाक 10.01.13 पट्टा स० 036 जो ग्राम पंचायत बडौदा द्वारा जारी किया गया को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा आवासीय पट्टा दिलाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत बडौदामेव को लिखे गए प्रार्थना पत्र के अनुसार गैरनिगरानीकार संख्या 01 के मकान के पास ही स्थित कृषि भूमि भी है इसलिए कृषि भण्डारण हेतु पट्टे की आवश्यकता हेतु निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत बडौदा मेव द्वारा पट्टा जारी करते समय ना तो कृषि भूमि पर किये पर किये गये किसी निर्माण की जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की कोई जानकारी की। प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि हेतु पट्टा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 में पुराने गृहों को नियमित किये जाने का प्रावधान है जिसमें 300 वर्गगज से अधिक के गृह नियमित नहीं किया जाता तथा उस पर न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण होना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा कृषि भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। उक्त पट्टा जारी करने में पंचायतीराज नियम के नियम 157 एवं अन्य नियमों का भी उल्लंघन पाया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधिवत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2013 में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनिगरानीकार संख्या 02 (ग्राम पंचायत बडौदा मेव) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2013 पट्टा संख्या 036 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)